Rcms-2019...

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0:- 110/2019 तारीख रजू:- 20.09.2019

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामनिवास पुत्र घन्टोली जाति कोली निवासी मिर्जापुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

(प्रतिवादी)

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136

उपस्थिति:- श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट (वादी)

पैरोकार सरकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 28.02.2020

वादी द्वारा वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मिर्जापुर की आराजी ख0न0 805 रकवा 1.15 है0 मे वादी बहिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार है। एवं मेरे परिवार वाले अन्य लोग 1/9-1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार है मुझे किसी की हिस्सेदारी से कोई परेशानी नही है।

वादी का नाम रामनिवास पुत्र घन्टोली है परन्तु मेरे पिता घन्टोली पुत्र सुक्का जाति कोली की मृत्यु के बाद विरासत का नामांतकरण न0 167 दिनांक 22.11.2010 खोलते समय पटवारी हल्का ने बिना जॉच किये सहवन से मेरा बोलता नाम गंगाराम भर दिया जो आज तक जमाबन्दी सम्वत 2075-78 मे दर्ज है।

वादी का वास्तविक नाम रामनिवास है एवं समस्त दस्तावेजात मे नाम रामनिवास है के अलावा घन्टोली के गंगाराम नाम का कोई पुत्र नही है जमाबन्दी मे घन्टोली के चार पुत्र ओर है जिनका नाम फूलसिंह, भूरसिह, रूपलाल, रामलाल है एवं चार पुत्रीया घमला, मोटा, सन्तरा, सुफेदी पुत्री है इस प्रकार हम 9 भाई-बहिन है इस प्रकार हाल रिकार्ड जमाबन्दी मे गंगाराम के स्थान पर रामनिवास दर्ज करना आवश्यक व न्याय संगत है।

दिनांक 17.9.2019 को वादी तहसीलदार टोडाभीम के कार्यालय मे उपस्थित होकर शुद्वी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदारजी ने कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब शुद्वी होगी। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा खिलाफ प्रतिवादी दावा डिक्री फरमाया जाकर ग्राम मिर्जापुर की आराजी ख0न0 805 रकवा 1.15 है0 मे वादी का नाम गंगाराम पुत्र घन्टोली के स्थान पर वादी का नाम रामनिवास पुत्र घन्टोली दर्ज किया जावे, एवं हाल रिकार्ड से गंगाराम का नाम हजफ किया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि ग्राम मिर्जापुर की आराजी ख0न0 805 रकवा 1.15 है0 मे घन्टोली पुत्र सुक्का जाति कोली के विरासत का नामांतकरण संख्या 167 दिनांक 22.11.2010 मे वादी का नाम गंगाराम पुत्र घन्टोली दर्ज हुआ है। ग्राम मिर्जापुर मे रामनिवास का बोलता नाम गंगाराम है, गंगाराम व रामनिवास एक ही व्यक्ति के दो नाम है। गंगाराम का वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र घन्टोली है। गंगाराम के स्थान पर रामनिवास नाम शुद्व किये जाने की अभिशंषा की है।

वादी वकील ने अपनी बहस मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम मिर्जापुर की आराजी ख0न0 805 रकवा 1.15 है0 मे वादी का बोलता नाम गंगाराम दर्ज कर दिया है जबकि वादी का सही नाम रामनिवास पुत्र घन्टोली जाति कोली है इसलिये राजस्व रिकार्ड मे वादी गंगाराम पुत्र घन्टोली के स्थान पर रामनिवास पुत्र घन्टोली किये जाने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को फरमाये जावे।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन मे आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 व स्वंय का शपथ पत्र व गवाह रूपलाल पुत्र घन्टोली के शपथ पत्र पेश किये। गवाह रूपलाल ने शपथ पत्र मे अंकन किया है कि रामनिवास मेरा खास भाई है सहखातेदार है मेरे भाई का सही नाम रामनिवास है, एवं दौराने बहस उपस्थित होकर इसी प्रकार कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया, तहसीलदार टोडाभीम (लैण्ड होल्डर) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, तहसीलदार टोडाभीम (लैण्ड होल्डर) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे वादी गंगाराम व रामनिवास एक ही व्यक्ति होना बताया है। तथा गंगाराम के स्थान पर रामनिवास नाम शुद्व किये जाने की अभिशंषा की है। पत्रावली मे शामिल भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र कमांक बी.एस.एक्स/1265511, आधार कार्ड कमांक 9807 2028 1723, परिवार राशन कार्ड कमांक 200003016761, बी0पी.एल चिकित्सा सुविधा कार्ड न0 181 मे वादी का नाम रामनिवास पुत्र घन्टोली जाति कोली के रूप मे दर्ज है। वादी के भाई रूपलाल पुत्र घन्टोली जाति कोली निवासी मिर्जापुर ने अपने शपथ पत्र मे अंकित किया है कि रामनिवास मेरा सगा भाई है। नामांतकरण भरते समय बोलता नाम गंगाराम भर दिया जो गलत है। मेरे भाई का सही नाम रामनिवास है, गंगाराम नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का नाम शुद्व किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम मिर्जापुर की आराजी ख0न0 805 रकवा 1.15 है0 मे दर्ज गंगाराम पुत्र घन्टोली जाति कोली स्थान पर रामनिवास पुत्र घन्टोली जाति कोली निवासी मिर्जापुर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: